राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1729/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
प्रहलाद मीना सी-62] बालनगर] करतारपुरा, Jaipur ,Rajasthan		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त शासन सचिव कार्मिक (क-2) विभाग Jaipur

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 10/04/2018

1. अपीलार्थी एवं उनकी ओर से डॉ. गोविन्द सिंह सोमावत, उपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री बृज सुन्दर शर्मा, शासन उप सचिव, उपस्थित।

3. मैंने उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 20-7-17 के द्वारा राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं के सेवा नियमों में सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति का सदस्य किस किस पद के सेवा नियमों में चयन समिति में रखने का प्रावधान किया गया है, किन किन विभागों ने उक्त सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, आरक्षण आदि के सम्बन्ध में 7 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 26-9-17 से असंतुष्ट रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने निवेदन किया कि उन्हें अभी तक सूचना प्रदान नहीं की गई है। प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 2-8-17 से वस्तुस्थिति से अवगत करवा दिया गया था तथा बिन्दु संख्या 3 के सम्बन्ध में सूचना शुल्क राशि 4/-रु. जमा करवाने हेतु संसूचित किया गया था, जो कि जमा करवाने पर 2 पृष्ठीय सूचना उन्हें प्रेषित कर दी गई।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 7-3-18 मय संलग्नक प्रस्तुत कर प्रति अपीलार्थी को पृष्ठांकित की है से उनके पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित विनिश्चय दिनांक 2-8-17 एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 26-9-17 विधिसंगत है, इसमें

किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. अभिलेखानुसार विनिश्चय/सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

9. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

11. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त